खान अधिनियम, 1952 कोयला खान प्रबंधक दक्षता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा — 2016 कोयला खान विनियमावली, 1957 के अधीन

अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड तथा महानिदेशक खान सुरक्षा, धनबाद द्वारा **धनबाद, बिलासपुर, नागपुर, रांची, हैदराबाद एवं आसनसौल** (**सीतारामपुर**) केन्द्रों में खान प्रबंधक, दक्षता प्रमाण पत्र हेतु कोयला खान विनियमावली, 1957 के अंतर्गत परीक्षाएं कम्पयुटर आधारित दिसम्बर, 2016 में ली जाएगी । इच्छुक अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल होना चाहते है अपना आवेदन ONLINE: http://dgms.gov.in के द्वारा ही सिम्मिलित कर सकते है तथा दुसरे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा । परीक्षाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित अनुसार है।

परीक्षा का विवरण: कम्पयुटर आधारित परीक्षा 20 से 24 दिसम्बर, 2016 के बीच होना निश्चित किया गया है तथा विषयवार परीक्षा का विवरण अभ्यर्थी को बुलावा पत्र के माध्यम से सुचित किया जाएगा तथा www.dgms.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।

शुल्कः— (i) प्रथम श्रेणी प्रबंधक परीक्षा — \mp 100 /— (ii) द्वितीय श्रेणी प्रबंधक परीक्षा — \mp 75 /—। सभी बैंक ड्राफ्ट /भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा डी. जी. एम. एस., धनबाद के पक्ष में भुगतेय । कोयला खान विनियमावली, 1957 के रेग्युलेशन 15 तथा 16 एवं संबंधित उपनियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हताएं एवं खानों में व्यवहारिक अनुभव जिन्हें नहीं है एवं जिनके पास मान्य प्राथमिक उपचार, सरदार तथा गैस जांच प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र की वैधता कम—से—कम परीक्षा की निर्धारित तिथि तक होनी चाहिए। **औपबंधिक प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा**। कोयला खान विनियमावली, 1957 के रेग्युलेशन 16 के अंतर्गत निर्धारित व्यवहारिक अनुभव तथा ततसंबंधित संलग्न शर्ते आवश्यक उपनियमों के अंतर्गत निम्नांकित है : —

3 2 2 3 3	
प्रथम श्रेणी परीक्षा	
(i) 1 पत्र (i) खनन अभियंत्रण में डिग्री (ii) द्वितीय श्रेणी छूट प्रमाण पत्र	2 वर्ष
(ii) 2 पत्र (i) खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा (ii)5 पत्रों की परीक्षा द्वारा प्राप्त द्वितीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाण पत्र	5 वर्ष
(ii) 3 पत्र (i) खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा (ii) 1पत्र की परीक्षा द्वारा प्राप्त द्वितीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाण पत्र	5 वर्ष
(iv) 3 पत्र (i) वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास डिग्री / डिप्लोमा नहीं है। (ii) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या (ऐच्छिक) इसके समकक्ष प्रमाण पत्र । (iii) 5 पत्रों की परीक्षा द्वारा प्राप्त द्वितीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाण पत्र ।	6 वर्ष
(v) 5 पत्र (i) वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास डिग्री / डिप्लोमा नहीं है। (ii) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र।(iii) माईनिंग सरदार प्रमाण पत्र।	6 वर्ष
द्वितीय श्रेणी प्रबंधक परीक्षा	
(i) 1 पत्र (i) खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा (ii) ओवरमैन छूट प्रमाण पत्र	४ वर्ष
(ii) 5 पत्र (i) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र। (ii) माईनिंग सरदार प्रमाण पत्र	5 वर्ष

अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ONLINE आवेदन जमा करने से पूर्व आवश्यक दिशा निर्देश ध्यान पूर्वक पढ लें। हस्ताक्षर युक्त जमा की गई आवेदन की प्रति, सभी आवश्यक कागजातों तथा शुल्क के साथ निदेशक (परीक्षा) एवं सचिव, खनन परीक्षा समिति, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद — 826 001 (झारखण्ड) को केवल निबंधित डाक से भेजा जाना चाहिए।हाथों—हाथ या व्यक्तिगत सुपुर्दगी के द्वारा भेजा गया स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए— <u>चार</u> अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो जिसपर सामने की तरफ नाम <u>लिखा हुआ हो</u> सभी प्रमाणपत्रों, कागज़ातों की अभिप्रमाणित फोटो प्रतियां चिकित्सा, चरित्र एवं व्यवहारिक अनुभव प्रमाण पत्र (जिसे केवल मूल में ही होना चाहिए)। इन प्रमाण पत्रों / कागज़ातों का मूल (ओरिजनल) मौखिक परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। वैसे आवेदनों को जो निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरे हुए नहीं रहेंगे तथा जिनके साथ आवश्यक कागज़ात संलग्न नहीं किया रहेगा उन्हें रह कर दिया जाएगा। सभी पुराने तथा नये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र रह होने से बचने के लिए आवेदन के साथ आवश्यक कागज़ात जमा करने होंगे। बाद में कोई कागज़ात स्वीकार्य नहीं होंगे।

ONLINE आवेदन करने तथा उसका प्रति एवं शुल्क खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय में प्राप्त करने का अंतिम तारिख 20/10/2016 (शाम 5 बजे तक) है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं कोई क्रमांक संख्या और उसकी स्थित स्वीकार्य सुची अथवा निरस्थ सुची में दर्शायी नहीं जाएगी। बोर्ड पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्ति या पारगमन में किसी भी संचार के नुक्सान में किसी भी देरी के लिए कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा।

विशेष :— (i) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने पूर्व में उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन किया था ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ओल्ड उम्मीदवार रिजस्ट्रेशन (Old Candidate Registration) को चयनित करेंगे। अपना आई.डी. नंबर तथा रोल नंबर परीक्षा के वर्ष के साथ आवश्यक रूप से अंकित करें। (ii) अपना स्वयं का E-mail ID आवेदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी महत्वपूर्ण सूचना जैसे— कम संख्या, परीक्षा का कार्यकम, आवेदन की स्थिति इत्यादि सिर्फ E-mail के माध्यम से सूचित अथवा प्रयोग में लाया जाएगा। (iii) ONLINE आवेदन करते समय दो या इससे अधिक अभ्यर्थी एक ही E-mail ID का उपयोग अथवा व्यवहार में नहीं लाएगें। (iv) परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, पेजर या कोई भी संचार साधन लाने की अनुमति नहीं है। किसी प्रकार का उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ अभ्यर्थिता निरस्त तथा खनन परीक्षा समिति द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में आगामी तीन वर्षों के लिए रोक लगा दिया जाएगा।

THE MINES ACT, 1952 EXAMINATIONS FOR THE COAL MINES MANAGER'S CERTIFICATE OF COMPETENCY – 2016 UNDER THE COAL MINES REGULATIONS, 1957

The Chairman, Board of Mining Examinations and Director General of Mines Safety, Dhanbad is holding Computer Based Examinations in December, 2016 at **Dhanbad, Bilaspur, Nagpur, Ranchi, Hyderabad & Asansol** (**Sitarampur**), centres for Mine Manager's, Certificate of Competency, under the Coal Mines Regulations, 1957. Candidates desirous of appearing for examination (are required to submit their application ONLINE under http://dgms.gov.in and <u>no other mode of application will be accepted.</u> The brief particulars of examinations are as under:

SCHEDULE OF EXAMINATION: The Computer based exam is scheduled to be held from 20th to 24th December 2016 and the subject wise schedule will be intimated to candidates in the call letters and displayed at www.dgms.gov.in

FEES: (i) 1st Class Manager's Examination: Rs.100/- (ii) 2nd Class Manager's Examination: Rs.75/- all by Bank Draft/ Indian Postal Order payable to DGMS at Dhanbad.

None need apply who does not possess qualifications and practical experience in mines as prescribed under Regulation 15 &16 of the Coal Mines Regulations, 1957 read with relevant bye-laws and who do not hold valid First Aid, Sirdar's and Gas-testing certificate. The validity of First Aid certificate should extend to a date, which is not earlier than the date of the examination. **No provisional certificate shall be accepted.** Practical experience prescribed under Regulation 16 of the Coal Mines Regulations, 1957 and conditions attached therewith under relevant bye-laws are as below:

Scheme of	Eligibility conditions & Qualifications	Practical
Examination		Experience
FIRST CLASS MANAGER'S EXAMINATION		
1) 1 Paper	(i) Degree in Mining Engg.(ii) IInd Class Manager's (Exempt) Certificate	2 years
2) 2 Papers	(i) Diploma in Mining Engg.(ii) IInd class Manager's Certificate with 5 paper examination	5 years
3) 3 Papers	(i) Diploma in Mining Engg.(ii) II nd Class Manager's Certificate with one paper exam.	5 years
4) 3 Papers (Opted)	For candidates not possessing Degree/Diploma -(i) Senior Secondary School Certificate or its equivalent.(ii) IInd Class Manager's Certificate with 5 paper exam.	6 years
5) 5 Papers	For candidates not possessing Degree/Diploma -(i) Senior Secondary School Certificate or its equivalent(ii) Sirdar's Certificate.	6 years
SECOND CLASS M	ANAGER'S EXAMINATION	
1) 1 Paper	(i) Diploma in Mining Engg.(ii)Overman's Exempt. Certificate	4 years
2) 5 Papers	(i) Senior Secondary School Certificate or its equivalent (ii) Sirdar's Certificate	5 years

Note: Applicants are advised to read the instruction & Guidelines carefully before start filling up the online application. The signed printout of the filled application form, along with required documents and fee shall be sent to THE DIRECTOR OF MINES SAFETY (EXAMS) & THE SECRETARY, BOARD OF MINING EXAMINATIONS, DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY, DHANBAD-826001 (JHARKHAND) by Speed / Registered Post. The applications shall be received by post only and not by hand/personal delivery.

Every application form should be accompanied by: (i) 4 nos. of recent attested passport size photographs with name written clearly on front side (ii) Duly attested/ Self attested photocopies of all certificates shall be submitted. HOWEVER, MEDICAL, CHARACTER AND PRACTICAL EXPERIENCE CERTIFICATES SHALL BE SUBMITTED IN ORIGINAL ONLY. Other original certificates/ documents shall be required only at the time of ORAL EXAMINATIONS. Applications, which are not properly filled in, and are not accompanied by the required documents, shall stand rejected without any reference. All old and new candidates must submit all required documents along with the application to avoid rejection. NO DOCUMENT SHALL BE ACCEPTED LATER.

THE LAST DATE FOR FILLING OF APPLICATION ONLINE AND SUBMISSION OF PRINTOUT OF THE FILLED APPLICATION FORM, ALONG WITH REQUIRED DOCUMENTS AND FEE AT DGMS OFFICE IS 20/10/2016 (UP TO 5:00PM). The applications not received within the stipulated time (due to any reason), will not be processed for allotment of Roll Number and the status will neither be reflected in admitted list, nor be reflected in the rejected list. The Board takes no responsibility for any delay in receipt or loss of any communication in postal transit during entire examination process.

- NB (i) Applicants who had appeared earlier in similar examinations shall select the OLD CANDIDATE REGISTRATION of the online line application page and fill their previous ID Number and the year of last examination without fail.
 - ii) Individual Email ID of the candidate is an important component of the Application. All important information such as, Roll Number, Examination Schedules, Application Status. etc will be communicated to the candidate on this email ID only.
 - iii) No two candidates can share the same email ID while submitting their application ONLINE.
 - (iv) Mobile phones, pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement shall entail disciplinary action including cancellation of candidature and debarment for three years from future examinations conducted by the Board of Mining Examinations.